वैदिक व्यवस्था का सार 'मनुस्मृति' : एक संक्षिप्त परिचय

श्रीमती पुष्पा रानी

इतिहास विभाग, हिंदू कन्या महाविद्यालय

सोनीपत (हरियाणा)

Email : pushpa.seehmar@gmail.com

शोध–आलेख–सार : भारतीय साहित्य के इतिहास में धर्मग्रन्थ महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन भारत का सम्पूर्ण साहित्य धार्मिक परिवेश में ही पल्लवित हुआ है। प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के धर्मग्रन्थ लिखे गये जैसे सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य। जहाँ सूत्र साहित्य धर्म तत्त्व की सर्वांगीण विचेना करता है, वहाँ धर्म का प्रमाणिक ज्ञान स्मृतियाँ कराती हैं। स्मृति साहित्य में 'मनुस्मृति' सबसे महत्त्वपूर्ण और प्राचीन स्मृति है।

मनुस्मृति में ना केवल मानव एवं मानव समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कर्त्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था के रुप में व्यक्ति एवं समाज के हितकारी नियमों, नैतिक कर्त्तव्यों, मर्यादाओं का वर्णन है अपितु समाज के संचालन हेतु विधानों का भी निर्धारण किया गया है। मनुस्मृति को मनुसंहिता, मनुमहाभाष्य और मानव धर्मशात्र आदि कईनामों से जाना जाता है। मनुस्मृति के रचियता मनु हैं। मनुस्मृति की रचना 200 ई0पू0 से 200 ई0 के मध्य हुई। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। मनुसमृति का संबंध मानव जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र से है। इसमें सभी वर्णों के आश्रमों के कर्त्तव्यों के साथ–साथ शासन के सभी सिद्धांतों की ओर संकेत किया गया है। हिन्दुओं के कानूनी ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध मनु का धर्मशास्त्र है, जो ना केवल प्राचीन भारतीय सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व आर्थिक ढांच का आधार था अपितु आज भी करोड़ों हिन्दुओं के विचारों और जीवन पद्धति को प्रभावित करता है।

शोध–प्रविधि : भारतीय साहित्य के इतिहास में धर्मग्रन्थ महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन भारत का सम्पूर्ण साहित्य धार्मिक परिवेश में ही पल्लवित हुआ है। प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के धर्मग्रन्थ लिखे गये जैसे सूत्र साहित्य, स्मृति साहित्य। धर्म का प्रमाणिक ज्ञान स्मृतियाँ कराती हैं। इसके साथ–साथ ये स्मृतियाँ समकालीन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर भी महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालती है। हम किसी भी अवस्था में स्मृति ग्रंथों की अनदेखी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति हुई है और वे ही धर्म के मूल स्त्रोत हैं। स्मृति साहित्य में भी 'मनुस्मृति' सबसे महत्त्वपूर्ण स्मृति है।

मुख्य शब्द : धर्मग्रंथ, सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, सिद्धांत।

'स्मृति' शब्द का अर्थ है – 'स्मरण'। स्मृति, श्रुति का समकक्ष शब्द हैं वेद श्रवण परम्परा में अनादि काल से प्रचलित रहे, अतः उन्हें श्रुति कहा गया। श्रुति साहित्य के अन्तर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् आदि ग्रन्थ आते हैं। इसी प्रकार स्मरण परम्परा से जिन शास्त्रीय नियमों, परम्पराओं एवं आचार संहिताओं को जीवित रखा गया, उन्हें स्मृति का नाम दिया गया। स्मृति शब्द का एक अर्थ यह भी है कि प्राचीन ऋषियों ने

जिन प्राचीन परम्पराओं आदि को आत्म साक्षात्कार के द्वारा स्मरण किया उन्हें भी स्मृति का नाम दिया गया। स्मृति के अन्तर्गत षवेदांग, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र आते हैं।

आधुनिक समय में स्मृति का अर्थ 'धर्मशास्त्र' के रुप में लिया जाता है। धर्मशास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें राजा प्रजा के अधिकार, कर्तव्य, सामाजिक आचार–विचार, सदाचार और शासन सम्बन्धी नियमों का वर्णन होता है। पी०वी० काणे ने स्मृति का व्यापक अर्थ बताते हुए कहा है कि स्मृति का तात्पर्य वेदवाङ्मय, पाणिनीय व्याकरण, श्रोतसूत्र, धर्मसूत्रों, महाभारत, मनुस्मति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य ग्रन्थों से है किन्तु सामान्य रुप में स्मृति का अर्थ केवल स्मृति ग्रन्थों से ही लिया जाता है जैसे मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति आदि।

परम्परागत भारतीय मान्यताओं के अनुसार मनु प्रथम व्यवस्थापक और आदि पुरूष है। मनु द्वारा प्रतिपादित नियमों का अभिलेख मनुस्मृति में सुरक्षित है। प्रायः मनुप्रोक्त स्मृति को मनुस्मृति, मनुसंहिता, मनुमहाभाष्य और मानव धर्मशास्त्र आदि कई नामों से जाना जाता है। मनुस्मृति का हिन्दी, अंग्रेजी और अन्य अनेक भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। मनुस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण 1813 ई0 में हुआ। मनुस्मृति के बहुत से टीकाकार हुए जिनमें मेधातिथि, गोविन्दराज, कुल्लुक भट्ट, नारायण विशेष उल्लेखनीय है। मनुस्मृति के परवर्ती काल में रचित स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति आदि प्रमुख है।

स्मृति ग्रन्थों एवं धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। मनुस्मृति में एक ओर मानव एवं मानव समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कर्त्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था के रुप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी नियमों, नैतिक कर्त्तव्यों, मर्यादाओं एवं आचरणों का वर्णन है, वहीं समाज व्यवस्था के संचालन हेतु विधानों का निर्धारण भी है। दूसरी ओर मानव को जन्म–मरण से मुक्ति प्राप्त करवाने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का भी निरूपण है। इस प्रकार मनुस्मृति भौतिक एवं आध्यात्मिक आदेशों एवं उपदेशों का मिलाजुला शास्त्र है। इस कारण मनुस्मृति व्यक्ति एवं समाज के लिए धर्मशास्त्र के साथ–साथ आचारशास्त्र भी है और इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान भी है। इसलिए मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज की जानकारी का बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

भारतीय परम्परानुसार मनुस्मृति को गौरव प्रदान करने वाले कारणों में एक कारण यह भी है कि मनु अपने समय के प्रख्यात ऋषि थे। जिज्ञासु ऋषियों ने धर्म ज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना क्योंकि अपने समय के वही एकमात्र विशेषज्ञ विद्वान थे जो धर्म को सही रुप में बतला सकते थे और मनु अपने समय के धर्मनिष्ठ एवं न्यायकारी व्यक्ति माने जाते थे। यही कारण है कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनों को आदर की दृष्टि से देखा तथा सुना जाता है और प्रमाणित भी माना जाता है। मनुस्मृति के माध्यम से मनु तथा उसके द्वारा प्रतिपादित विचारों की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। मनुस्मृति में संसारोत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त किया फिर आधे भाग से पुरूष और आधे भाग से स्त्री की उत्पन्न हुई। उस स्त्री से विराट पुरूष की उत्पत्ति हुई। फिर उस विराट पुरूष से जिस व्यक्ति का जन्म हुआ वही संसार का रचियता मनु है। मनु मानव जाति के आदि पिता हैं जिनसे मानव सृष्टि का प्रारम्भ हुआ। वह अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति के रुप में प्रतिपादित है।

मनुस्मृति के रचियता

मनुस्मृति की रचना किसने की, इस विषय में प्राचीन समय से भारतीय समाज में प्रचलित पौराणिक कथा है कि सृष्टि के आरम्भ में धर्म तथा आचार के नियम ब्रह्मा द्वारा मनु को ज्ञात हुए और उन्होनें इन नियमों को अन्य ऋषियों को सुनाने के लिए भृगु को आदेश दिया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर इन नियमों के निर्माता ब्रह्मा हैं तो इसको मनुस्मृति का नाम क्यों दिया गया, इस विषय पर मेधातिथि ने लिखा है कि विधिनिषेध समूह होता है और विधिनिषेध के नियम ब्रह्मा द्वारा बनाये जाने पर मनु द्वारा लिपिबद्ध किये गये, जिन्हें भृगु ने अन्य लोगों को सुनाया। मेधातिथि की इस व्याख्या से हमें संकेत मिलता है कि मनु नामक कोई व्यक्ति था जिसने मनुस्मृति को लिपिबद्ध किया। मनुस्मृति के एक और टीकाकार कुल्लुक भट्ट जिनका समय लगभग 1100–1300 ई0 के बीच माना गया है। उनका कथन है कि मनु शब्द अधिकारवाची था और जिसको सृजन करने का अधिकार होता था उसी को मनु नाम से अभिहित किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि मनु कोई व्यक्ति नही था बल्कि महान् विधिदाताओं को दी गई उपाधि थी। मनुसंहिता के यथार्थ रचयिता अथवा रचयिताओं ने उसमें सम्मिलित विधियों को अधिकारपूर्ण बनाने के लिए निःसंदेह मनु नाम धारण किया। इस प्रकार मनु तथा मनुस्मृति के विषय में मेधातिथि और कुल्लुक भट्ट की टीकाएँ दो भिन्न दिशाओं की ओर संकेत करती हैं। मेधातिथि की टीका के आधार पर मनु एक पौराणिक एवं ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुस्मृति को लिपिबद्ध किया। कुल्लुक की टीका से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुओं की एक परम्परा रही है और मनुस्मृति इसी परम्परा की देन है।

इस विषय में पी०वी० काणे का कथन है कि यह कहना प्रायः असम्भव है कि मनुस्मृति की रचना किसने की है जिस पौराणिक मनु की चर्चा होती है, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी आता है, उन्होंने मनुस्मृति की रचना नहीं की है तो वह कौन सी मनोवृत्ति थी जिसने वास्तविक व्यक्ति को अपना नाम गुप्त रखने के लिए बाध्य किया। मनुस्मृति में संग्रहित यह समस्त ज्ञान प्रवचन रुप में है अतः इसे कहने वाले प्रवक्ता हुए हैं एवं इसके प्रवक्ता स्वयांभुव मनु हैं। मानव धर्मशास्त्र से अभिप्राय है मनु द्वारा लिखित धर्मों का शास्त्र। अतः स्पष्ट है कि मनु ने मानव के लिए जिस धर्मशास्त्र की रचना की, वही मनुस्मृति कहलाया। यदि यह स्मृति ग्रन्थ है तो मनु स्वयं अपने स्मृति ग्रन्थ का रचयिता कैसे हो सकता है? अतः स्पष्ट है कि मनु द्वारा कहे गये वचन मनुस्मृति में प्रोक्त है, रचित नहीं।

मनुस्मृति के संदर्भ में अनेक प्रवक्ताओं के नाम आते हैं, परन्तु इसके मूल प्रवक्ता स्वयांभुव मनु है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वशास्त्र ज्ञाता स्वयांभुव मनु ने ब्राह्मण तथा शेष वर्णों के ज्ञान के लिए इस शास्त्र की रचना की। अतः स्पष्ट है कि मनु ही मनुस्मृति का मूल रचयिता है, भृगु आदि शिष्य तो मनु पोक्त उक्त धर्मों का युगों–युगों तक प्रचार करने वाले हैं।

मनुस्मृति का रचना काल

मनुस्मृति की रचना कब हुई इसका निर्धारण करना बहुत ही कठिन कार्य है। मनुस्मृति में 12 अध्याय तथा 2694 श्लोक हैं। अतः स्पष्ट है कि इतना विशाल ग्रन्थ किसी एक दिन या एक वर्ष की रचना नहीं है।

इसकी रचना में कई वर्षों का समय लगा होगा और ये ग्रन्थ किसी लम्बी परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है। मनुस्मृति में सात मनुओं का उल्लेख है लेकिन पुराणों में मनुओं की संख्या के प्रश्न पर मतभेद हैं। वायु पुराण एवम् पदम् पुराण के अनुसार चौदह मनु थे, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार केवल बारह मनु थे। मनु का नाम वैदिक साहित्य, पुराणों, धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में कई बार वर्णित हुआ है। मनुस्मृति के प्रथम भाष्यकार मेधातिथि जिनका समय लगभग 825–900 ई0 के बीच माना जाता है। इन्होंने 'मनुमहाभाष्य' नामक टीका लिखी। मेधातिथि ने अनुमान लगाया कि मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन ई0पू0 की चौथी अथवा पाँचवी शताब्दी में किया गया होगा।

मनुस्मृति पर एक अन्य टीकाकार कुल्लुक भट्ट (1200ई०) ने भी टीका लिखी तथा मनुस्मृति का रचना काल चौथी सदी ईसा पूर्व माना। मनु ने यवनों, शकों, कम्बोजों, गान्धार, पह्लव आदि का वर्णन किया है। अतः वे ई0 पू0 तीसरी सदी से बहुत पहले के नहीं हो सकते। यवन, कम्बोज, गान्धार लोगों का वर्णन अशोक के पाँचवे प्रस्तर अनुशासन में आ चुका है। वर्तमान मनुस्मृति में वर्णित सिद्धान्त प्राचीन धर्मसूत्रों अर्थात् गौतम, बौधाय्यन एवं आपस्तम्ब के धर्मसूत्र से बहुत आगे हैं। अतः निःसंदेह मनुस्मृति की रचना धर्मसूत्र के उपरान्त हुई। मनुस्मृति की रचना ई0पू0 दूसरी शताब्दी तथा ईसा के उपरान्त दूसरी शताब्दी के बीच हुई होगी। वलभी के राजा धारसेन (571 ई0) के समय मनुस्मृति उपलब्ध थी। जिसका उल्लेख उनके अपने वलभी ताम्रपत्र लेख में मिलता है।

काशी प्रसाद जायसवाल ने मनुस्मृति का निर्माण पुष्यमित्र शुंग तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में माना है। उन्होंने अपने इस तथ्य की पुष्टि के लिए तर्क दिया है कि ब्राह्मण राजा की महत्ता के लिए राजा को देवता बनाया गया। मनुस्मृति में राजा को दण्ड के अधीन कर दिया। लेकिन काशीप्रसाद जायसवाल का ये मत उचित नहीं लगता क्योंकि सर्वप्रथाम तो यही संदिग्ध है कि मनुस्मृति शुंग रजा के शासन काल में लिखी गई। द्वितीय तर्क यह है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई है तो कहीं भी मनुस्मृति में स्वेच्छाचारी निरंकुश राजा का वर्णन नहीं मिलता है। राजा को ईश्वरांश माना गया लेकिन वह कहीं भी असीमित शक्ति सम्पन्न स्वेच्छाचारी राजा के रुप में वर्णित नहीं है। मनु ने राजा को अपने गुणों के अनुरुप आचरण करने का उपदेश दिया है जो उसकी स्वेच्छाचारिता की सीमा बन जाता है। अतः उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि मनुस्मृति की रचना 200 ई0पू0 से 200 ई0 के मध्य में हुई।

मनुस्मृति में वर्णित विषय

भारतीय जन जीवन में आचार–विचार सम्बन्धी परम्परा बहुत प्राचीन है। वैदिक संहिताओं का बहुत बड़ा भाग इन्हीं धर्म–कर्म और आचार–विचार विषयक बातों का ही प्रतिपादन करता है। सारा वैदिक युग धर्म प्रधान व आचार प्रधान रहा है। स्मृतियों में भी इन्हीं विषयों को प्रधानता दी गई है। मनुस्मृति से पहले राजधर्म एवं व्यवहार अर्थशास्त्र के अधीन थे। मनुस्मृति में पहली बार राजधर्म को धर्म की सीमाओं में कस कर धर्मशास्त्र का उपजीवी बना दिया गया।

सभी प्राचीन ग्रन्थों की अपेक्षा मनुस्मृति पर अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। टीकाएँ लिखने का काम सोलहवी शताब्दी या इसके बाद तक भी चलता रहा और हर रचनाकार मूल रचना पर अपना व्यक्तित्व थोपता रहा। नवीं से सोलहवीं शताब्दी तक मनु पर सात लोगों ने टीकाएँ लिखीं। इनमें से प्रत्येक ने अपने देश, काल, समाज और पूर्वाग्रह के अनुसार मनुस्मृति की व्याख्या की है। इससे सभी ने मनुस्मृति की रचना का समय अलग–अलग निर्धारित किया है। भारतीय चिन्तन परम्परा के अनुसार मनुस्मृति का प्रारम्भ दार्शनिक विश्लेषण से होता है। मनुस्मृति में चेतन से जड़ के विकास, सृष्टि, विद्या, उसके साथ कर्म, धर्म और व्यवस्था के उदय, कालचक्र आदि का विश्लेषण है। इसके व्यवहारिक पक्ष में समाज के विभिन्न घटकों का विश्लेषण है।

मनुस्मृति के 'प्रथम अध्याय' में सृष्टि रचना का विश्लेषण किया गया है। सम्पूर्ण सृष्टि में मानव को सर्वश्रेष्ठ जैविक रचना माना है। देशधर्म, जातिधर्म एवं कुलधर्म के अतिरिक्त गुणधर्म अर्थात् अवैदिक राजनीतिक संघटनों के विश्लेषण की प्रतिज्ञा की है। इसी में वेद एवं धर्म स्मृतियों के आचार धर्म का भी प्रतिपादन है।

मनुस्मृति के 'द्वितीय अध्याय' में अभिवादन पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। माता को पिता से व माता–पिता से गुरू को श्रेष्ठ बताया गया है। धर्म के उपादान, धर्म के लक्षण, वर्गों का जन्म, उनके संस्कार के वर्णन का विधान है। गुरू व शिष्य का सम्बन्ध, वेदाभ्यास की महिमा, सहनशीलता, नित्य स्नान तथा तर्पण आदि का इसमें वर्णन किया गया है।

मनुस्मृति के 'तृतीय अध्याय' में आयु के द्वितीय भाग गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय विवाह की आयु, दान, धर्म पालन की विस्तृत विवेचना है। इसी में वेदों की श्रेष्ठता बताई गई है। सब दानों में से विद्या दान को श्रेष्ठ माना गया है। मनुस्मृति के 'पंचम अध्याय' में गृहस्थान्तर्गत, भक्ष्याभक्ष्य, देह शुद्धि, स्त्रीधन विषय का वर्णन किया है। मांस का प्रयोग निषेध किया है। पात्रों की शुद्धि का तथा पत्नी के गुणों का वर्णन किया गया है। मनुस्मृति के 'षष्टम् अध्याय' में वानप्रस्थ, संन्यास धर्म का उल्लेख है। आयु के चौथे भाग में संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थी को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और वानप्रस्थी को भिक्षान्न पर ही आश्रित रहना चाहिए आदि का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।

मनुस्मृति के 'सप्तम अध्याय' में राजधर्म का वर्णन है। राजा कैसा होना चाहिए, राजा के कौन–कौन से गुण होने चाहिए, राजा के दैनिक कर्त्तव्य, मन्त्रियों की नियुक्ति, दूत व पुरोहित के कार्य, दुर्ग का महत्त्व आदि विषयों का वर्णन इसमें मिलता है।

मनुस्मृति के 'अष्टम् अध्याय' में अठारह प्रकार के मुकदमें, चोरी का विवाद और उसका निर्णय, डाका, हत्या आदि अपराधों का निर्णय, स्त्री संग्रहण सम्बन्धी विवाद तथा उसके निर्णय का वर्णन किया गया है।

मनुस्मृति के 'नवम् अध्याय' में स्त्री–पुरूष धर्म की चर्चा की गई है। स्त्री के विषय में कहा है कि स्त्री की रक्षा बचपन में पिता करता है, युवावस्था में पति करता है तथा वृद्धावस्था में पुत्र करता है। अतः स्त्री स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। पैतृक सम्पत्ति के विभाजन का भी वर्णन इसमें किया गया है।

मनुस्मृति के 'दशम अध्याय' में ब्राह्मणों के कार्य तथा क्षेत्र, वर्णसंकर की निन्दा, शुद्रों को धार्मिक कार्य व धन संचय का अधिकार प्रदान नहीं करना आदि विषयों का वर्णन है।

मनुस्मृति के 'एकादश अध्याय' में सनातन धर्म का उल्लेख किया है। कन्या, अल्पज्ञ व्यक्ति, मूर्ख, रोगी और यज्ञोपवीत संस्कार से हीन व्यक्तियों को अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं दिया गया है तथा सभी प्रकार के प्रायश्चितों का विधिपूर्वक वर्णन है।

मनुस्मृति के 'द्वादश अध्याय' में सत्त्व, रज तथा तम नामक त्रिगुण की विवेचना है। वेदाभ्यास, ज्ञान, पवित्रता, धर्म कार्य और आत्मचिंतन सतोगुण के लक्षण हैं। कर्म में अरूचि होना, अधीरता, शास्त्र वर्जित कर्म का आचरण तथा विषयों में आसक्ति होना रजोगुण के लक्षण है। लोक निंदा, क्रूरता, नास्तिकता, नित्य कर्म का त्याग, मांगने का स्वभाव होना तथा प्रमाद तमोगुण के लक्षण हैं। स्वर्ग–नरक, मोक्ष व आत्मा के विषयों का वर्णन इसमें किया गया है।

इस प्रकार मनुस्मृति मानव जीवन से सम्बन्धित सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि अधिकांश विषयों पर विचार करती है। मनुस्मृति केवल धर्मशास्त्र ही नहीं वरन् एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन की व्यवस्था दी गयी है।

मनुस्मृति का महत्त्व

मनुस्मृति हिन्दू शासन पद्धति के सिद्धान्तों का महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है। इसका सम्बन्ध मानव जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र से है और इसमें प्रत्येक विषय के बारे में नियम दिये गये हैं। इसमें सभी वर्णों और आश्रमों के कर्त्तव्यों के साथ–साथ शासन के सभी सिद्धान्तों की ओर संकेत किया गया है। हिन्दुओं के कानूनी ग्रन्थों में सबसे प्रसिद्ध मनु का धर्मशास्त्र है, जो आज भी करोड़ों हिन्दुओं के विचारों और जीवन को प्रभावित करता है। मनुस्मृति के इस विस्तृत रुप व मानव जीवन के हर पहलु से सम्बन्धित विषय के कारण ही मनुस्मृति का प्रभाव भारत के साथ–साथ अन्य देशों पर भी पड़ा और इसे विदेशों में भी महत्त्व मिला। मनुस्मृति का प्रभाव एशिया, दक्षिण पश्चिम यूरोप के देशों में दूर तक उनकी कला संस्कृति और सभ्यता पर देखा जा सकता है।

चम्पाद्वीप के एक शिलालेख में मनु का श्लोक मिलता है। बालि, स्याम और जावा के विधान मनुस्मृति से पर्याप्त समानता रखते हैं। बर्मा का धम्मभट्ट मनुस्मृति से ही प्रेरित प्रतीत होता है। नेपाल का विधि–विधान, आचार भी काफी हद तक मनुस्मृति से ही प्रेरित है। फिलीपीन द्वीप के नये लोक सभा भवन के सामने उसकी संस्कृति के निर्माण में योगदान देने वाले चार व्यक्तियों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं, जिनमें से एक मनु की है। इसी प्रकार मनु और मनु के शास्त्र का प्रभाव भारतीय जीवन पद्धति पर ही नहीं वरन् विदेशी संस्कृति व जीवन पद्धति पर भी पड़ा। अतः जिन–जिन देशों से प्राचीन भारतीयों का सम्पर्क हुआ, चाहे व्यापार के द्वारा या फिर साम्राज्य विस्तार की ललक के कारण उन देशों पर मनुस्मृति का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है।

मनु धर्मशास्त्र किसी विशेष समूह व देश का ग्रन्थ नहीं है, यह सीमित क्षेत्र में सिद्धान्त का ग्रन्थ नहीं है, बल्कि ये सबके लिए एक समान है। इस धर्मशास्त्र में सामाजिक जीवन के सिद्धान्त निहित हैं। जो मानव जीवन में सदैव प्रयोग के योग्य है और इसका अपना सार्वभौमिक महत्त्व है।

मनुस्मृति का ऐतिहासिक महत्त्व भी बहुत अधिक है क्योंकि इससे उस समय की सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण सहायता मिलती है। प्राचीन भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचा चूंकि मूलरूप से मनुस्मृति पर ही आधारित था।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. काणे पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, पृ0सं0 40
2. शर्मा, सुरेन्द्र, मनुस्मृति, पृ0सं0 1
3. ठाकुर लक्ष्मीदत, प्राचीन स्मृतियों का अध्ययन, पृ0सं0 39–42
4. शरण परमात्मा, प्राचीन भारतीय राजनैतिक विचार एवं संसीाएँ, पृ0सं0 198
5. रस्तोगी एवं नारंग, सुदेश, मनुस्मृति – एक मूल्यांकन, पृ0सं0 3–4
6. मोटवानी, केवल, मनुधर्मशास्त्र, पृ0सं0 6
7. उपाध्याय, वी., प्राचीन भारत का इतिहास, पृ0सं0 64